



## उल्लंघन पत्र / ईमेल द्वारा

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
कार्यालय क्षेत्रीय खान नियंत्रक, जबलपुर

संख्या. – MCDR-MiFLOLST/39/2023-JBP-IBM\_RO\_JBP  
सेवा में,

जबलपुर, दिनांक: 11.04.2023

सर्वश्री सुखदेव प्रसाद गोयनका,  
प्रोपराईटर – श्री आलोक गोयनका  
गोयनका भवन, स्टेशन रोड कटनी,  
ईमेल-alokgoenkakatni@gmail.com

विषय: मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले में आपकी बडारी चूनापत्थर खान (1.51 हेक्टेयर), माइन कोड - 38MPR47126 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

दिनांक 29.03.2023 को इस कार्यालय के सहायक खनन अभियंता, श्री अभिषेक रंजन गौतम द्वारा, श्री विद्या सागर साहू, क्वालिफाइड पर्सन एवम मोहम्मद क्राफ़िल, खनन अभियंता की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एम सी डी आर), 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| नियम स.     | पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति   |
|-------------|---|
| नियम 12 (4) | <b>पूर्वोक्षण और खनन संक्रियाएं.</b> - (4) विद्यमान खनन पट्टों के मामले में खनन पट्टे के अंतर्गत संपूर्ण संभावित खनिजयुक्त क्षेत्र पर विस्तृत गवेषण (जी1स्तर) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा। किन्तु निरीक्षण के दौरान यह पाया गया की संपूर्ण संभावित खनिजयुक्त क्षेत्र पर विस्तृत गवेषण (जी1स्तर) नहीं किया गया है।  |
| नियम 34ए(3) | <b>निरीक्षण के दौरान यह पाया गया की खान में स्थापित किये गए जी सी पी पॉइंट्स खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर है।</b> अतः आपने एम सी डी आर 2017 के नियम 34ए (3) के तहत भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार ड्रोन सर्वे चित्र जमा नहीं किया है।   |
| 45(7)       | यदि यह पाया जाता है कि खनन पट्टा धारक या खनिजों के व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या निर्यात में संलग्न किसी भी व्यक्ति या कंपनी ने, यथास्थिति, दैनिक या मासिक या वार्षिक विवरणी में अधूरी या गलत या मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है या निर्धारित तिथि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; तो, -<br>(क) खनन पट्टा धारक द्वारा खनिजों के खनन के मामले में खान के क्षेत्रीय नियंत्रक राज्य सरकार को सलाह दे सकते हैं कि तब-<br>(i) खान में सभी खनन कार्रवाइयों के लिए निलंबन का आदेश दें और केवल उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद निलंबन के आदेश को रद्द करें;<br>(ii) इन नियमों के अंतर्गत अभियोजन चलाने के लिए कार्रवाई आरंभ करें;<br>(iii) अवैध खनन की मनोनुकलता या बढ़ावा देने की ओर संकेत करने वाली ऐसी किसी सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने के मामले में खनन पट्टे समाप्त करने की सिफारिश करना;<br><b>निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों की जांच पर यह पाया गया की खान दिनांक 23/09/2022 से निलम्बित है किंतु</b> |

|   |
|---|
| खदान में माह सितम्बर 2022, जनवरी 2023 एवम फरवरी 2023 में क्रमशः 305 टन, 23 टन, एवम 451.400 टन खनिज का प्रेषण किया गया है। |
|---|

02. इस संबंध में यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन एम सी डी आर-2017 के नियम 62 के तहत दंडनीय अपराध है।
03. एम सी डी आर-2017 के नियम 45(7) का पालन न करने पर एम सी डी आर-2017 के नियम 45(7) के प्रावधानों के तहत खनन संक्रिया को निलंबित किया जा सकता है।
04. आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों को तुरंत सुधारें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय,

(संजय एम गिरहे)  
क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि प्रेषित (ईमेल):

01. संचालक, भौमिकी एवम खनिकर्म, मध्य प्रदेश सरकार, खनिज भवन, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु.
02. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
- 03- जिलाधीश, जिला – कटनी (म.प्र.) सूचनार्थ ।

(संजय एम गिरहे)  
क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो